

गुरु धासीदास विश्वविद्यालय, विलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक ३०७१/स्था./प्रशा./२००५

विलासपुर, दिनांक 23/8/2005

आदेश

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (रांशोधन) अधिनियम 2002 की धारा 49 के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22.08.05 विषय क्रमांक-14 के निर्णयानुसार श्रीमती अनिता खन्ना की नियुक्ति मिम्न शर्तों पर स्ववित्तीय योजनांतर्गत संचालित प्रौद्योगिकी संस्थान के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में व्यापर्याप्ति (उन्नरक्षित) पद पर वेतनगान रूपये 8000-13500/- में दो वर्ष की परिवीक्षा पर (जो विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत घने परिसियम के अनुसार आगे बढ़ाई जा सकती है) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाती है।

कार्यभार ग्रहण की अवधि के दौरान वर्षा/शत्रा भूता आदि नहीं दिया जावेगा। वेतनगान के साथ समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा रखीकृत अन्य भूतों देय होंगे।

यदि परिवीक्षावधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया अथवा विश्वविद्यालय को उनकी रोधाओं की आवश्यकता न हो तो एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का वेतन देकर सेवा से पृथक किया जा सकता है।

इनकी सेवायें चालचलन संबंधी जॉच उपयुक्त एवं अच्छा पाये जाने पर ही वैध होगी।


दिनांक 06.09.2005 तक पद का कार्यभार ग्रहण किया जाना चाहिये, अन्यथा नियुक्ति निरस्त समझी जाएगी। सेवा शर्ते विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत परिसियम 31 एवं अध्यादेश-4 के अन्वयत संचालित होगी।

विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के साथ लिखित रूप से सूचित करना होगा कि उपर्युक्त सभी शर्ते मान्य हैं।

उपर्युक्त शर्तों में किसी प्रकार को कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जावेगी। वेतन एवं अन्य शर्ते उपर्युक्तानुसार होंगी, अन्य शर्ते मान्य नहीं होंगी।

नियुक्ति पर होने वाला व्यय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थापना मद में विकलनीय होगा।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार



पृ.क्रमांक ३०७१/स्था./प्रशा./२००५

विलासपुर, दिनांक 23/8/2005

प्रतिलिपि :-

01. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
02. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक को कुलपति जी/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
03. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
04. अतिरिक्त गुरुद्य शिविर, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
05. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
06. आयुक्त, उच्च शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा एवं पेशन प्रकोष्ठ, विज्ञान महाविद्यालय पारिसर ४५००३०, शासन, रायपुर (छ.ग.)।
07. निदेशक, प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरु धासीदास विश्वविद्यालय, विलासपुर को सूचनार्थ।
08. वित्ताधिकारी/सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, गुरु धासीदास विश्वविद्यालय, विलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- ✓ 09 श्रीमती अनिता खन्ना को इस नियंत्रण के साथ कि दे दिनांक 06.09.2005 तक अनुसारक रूप से कार्यभार ग्रहण करें। वार्षिक ग्रहण करने की सूचना के साथ ही रवारक्षण आयु पात्रता तथा शोषणक योग्यता प्रमाण के साथ इकारनामा भी कार्यालय में प्रत्युत करना आवश्यक है।
10. निम्न नम्बरी।

